न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 12/2022

शीर्षक

1. मोहन पुत्र मंगला उम्र 55 वर्ष, जाति अहीर, निवासी शेरपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. आंची देवी पत्नी फूलचंद
2. कानाराम पुत्र गणेश
3. कालूराम पुत्र गोपी
4. कोयली पत्नी बाबुलाल
5. गंगाधर पुत्र बंशी
6. गणपत पुत्र हनुमान
7. गोरा देवी पत्नी गेन्दा
8. जगदीश पुत्र गणेश
9. दडकी देवी पुत्री गैन्दा
10. पूरणमल पुत्र बाबुलाल
11. पाची देवी पुत्री गैंदा
12. फूला पुत्र रामेश्वर
13. बन्ना पुत्र नारायण
14. महेन्द्र पुत्र कैलाश
15. मीरा देवी पुत्री गैंदा
16. मोहन पुत्र गणेश
17. राजू पुत्र ग्यारसा
18. रामलाल पुत्र ~~गैंदा~~ भगवाना
19. रिछपाल पुत्र गैंदा
20. रोहिताश पुत्र ग्यारसा
21. विष्णु कुमार पुत्र साधुराम
22. शान्ति देवी पत्नी साधुराम
23. सुगाराम पुत्र भगवाना
24. सुण्डाराम पुत्र भगवाना
25. सुवा पुत्र गणेश
26. सांवतराम पुत्र गैंदाराम
27. सांवरमल पुत्र ग्यारसा
28. मूंगी देवी पत्नी जगदीश
29. सुरेश पुत्र जगदीश
30. रामजीलाल पुत्र जगदीश
31. राजेश पुत्र जगदीश
32. बिमला पुत्री जगदीश
33. सरोता पुत्री जगदीश
34. खुशी पुत्री जगदीश
35. अनिता यादव पुत्री सीताराम
36. विनोद यादव पुत्र सीताराम
37. मीरा देवी पत्नी सीताराम

समस्त व्यस्क समस्त जाति अहीर(यादव) समस्त निवासी– शेरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

38. प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
39. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इंद्रराज, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 88,89,188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 7/2/2023

वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खाता संख्या 59 के हाल ख. नं0 2403/2558 रकबा 0.38 है0, व खसरा नं0 2665/2743 रकबा 0.36 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.74 है0 वाकै ग्राम शेरपुरा, पटवार हल्का खोरी, भू0अभि0नि0 खोरी, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। उक्त खातेदारी भूमि प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 37 के नाम व उनके पूर्वजों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वाद पत्र में वर्णित भूमि ख.नं0 2465/2743 रकबा 0.36 है0 भूमि के साबिक नंबर 1595 है जो वर्तमान में प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 37 के नाम तथा जमाबंदी संवत 2033 से 2036 तक साबिक जमाबंदी गैरमुमकिन आबादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों की गलती से संहवन से उक्त भूमि को प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर दी गयी है। जबकि उक्त भूमि पर वर्तमान में सैकडों की संख्या में वादी सहित अन्य व्यक्ति मकान आदि बनाकर कई वर्षों से निवास कर रहे हैं। साबिक नक्शा व वर्तमान नक्शा के मिलान करने से भी अंतर है। वर्तमान नक्शें में भी उक्त खसरा नम्बर की आबादी दर्शा रखी है। वादी व अन्य व्यक्ति जो उक्त भूमि पर कई वर्षों से अपने मकान बनाकर निवास कर रहे हैं सभी ने मिलकर कई बार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 37 के पास व प्रतिवादीगण सं0 39 के कार्यालय में जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का नाम हटाकर साबिक जमाबंदी के

अनुसार व वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिये कई बार प्रार्थना पत्र पेश
किया गया। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी इसलिए उक्त वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वादपत्र मयशपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय व डिक्री वाद
बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की प्रदान की जावे कि खाता सं. 59 के हाल खसरा नं0 2465/2743 रकबा 0.
36 है0 भूमि वाकै ग्राम शेरपुरा पटवार हल्का खोरी, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0 में स्थित भूमि में प्रतिवादीगण का नाम
राजस्व रिकॉर्ड में नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में साबिक जमाबंदी के अनुसार व वर्तमान मौका
स्थिति के अनुसार गैर मुमकिन आबादी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाये तथा प्रतिवादीगण
को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी व अन्य व्यक्तियों की कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार
की बाधा नहीं करें।

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलबी की गई प्रतिवादीगण
की ओर से बावजूद सूचना के प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध विधिवत एक पक्षीय
कार्यवाही अमल में लाई गयी । वकील वादी ने अपनी एकपक्षीय बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए
वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में खाता सं. 59 के हाल खसरा नं0 2465/2743 रकबा 0.36 है0 भूमि वाकै ग्राम शेरपुरा पटवार
हल्का खोरी, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0 में स्थित भूमि में प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाम हजफ किया
जाकर उक्त भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में साबिक जमाबंदी के अनुसार व वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार गैर मुमकिन आबादी
में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी
निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने व वादी व अन्य व्यक्तियों की कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा
उत्पन्न नहीं करने का निवेदन किया गया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया । तथा प्रश्नगत आराजी का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त
भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में साबिक जमाबंदी के अनुसार व वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार गैर मुमकिन आबादी होना भी
साबित है। वादी का व अन्य व्यक्तियो का आराजी पर कब्जा होना भी साबित होता है।
इस प्रकार वकील वादी की बहस तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्यवादी के शपथ पत्रो के अवलोकन में भी यही
जाहिर किये जाने से प्रश्नगत आराजी में भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में साबिक जमाबंदी के अनुसार व वर्तमान मौका स्थिति के
अनुसार गैर मुमकिन आबादी दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि हाल खाता सं. 59 के हाल खसरा नं0 2465/2743 रकबा 0.36 है0 भूमि
वाकै ग्राम शेरपुरा पटवार हल्का खोरी, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0 में स्थित भूमि में प्रतिवादीगण का नाम राजस्व
रिकॉर्ड में नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में साबिक जमाबंदी के अनुसार व वर्तमान मौका स्थिति के
अनुसार गैर मुमकिन आबादी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली
फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 7/2/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

A.C. & S.M. (F.T.)
(मनमोहन मीना)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर (जिला-जयपुर)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) शाहपुरा जिला जयपुर

ीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

ाद संख्या :– 12/2022

शीर्षक

1. मोहन पुत्र मंगला उम्र 55 वर्ष, जाति अहीर, निवासी शेरपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. आंची देवी पत्नी फूलचंद
2. कानाराम पुत्र गणेश
3. कालुराम पुत्र गोपी
4. कोयली पत्नी बाबुलाल
5. गंगाधर पुत्र बंशी
6. गणपत पुत्र हनुमान
7. गोरा देवी पत्नी गेन्दा
8. जगदीश पुत्र गणेश
9. दडकी देवी पुत्री गैन्दा
10. पूरणमल पुत्र बाबुलाल
11. पांची देवी पुत्री गैंदा
12. फूला पुत्र रामेश्वर
13. बन्ना पुत्र नारायण
14. महेन्द्र पुत्र कैलाश
15. मीरा देवी पुत्री गैंदा
16. मोहन पुत्र गणेश
17. राजू पुत्र ग्यारसा
18. रामलाल पुत्र भगवाना
19. रिछपाल पुत्र गैंदा
20. रोहिताश पुत्र ग्यारसा
21. विष्णु कुमार पुत्र साधुराम
22. शान्ति देवी पत्नी साधुराम
23. सुगाराम पुत्र भगवाना
24. सुण्डाराम पुत्र भगवाना
25. सुवा पुत्र गणेश
26. सांवतराम पुत्र गैंदाराम
27. सांवरमल पुत्र ग्यारसा
28. मूंगी देवी पत्नी जगदीश
29. सुरेश पुत्र जगदीश
30. रामजीलाल पुत्र जगदीश
31. राजेश पुत्र जगदीश
32. बिमला पुत्री जगदीश
33. सरोता पुत्री जगदीश
34. खुशी पुत्री जगदीश
35. अनिता यादव पुत्री सीताराम
36. विनोद यादव पुत्र सीताराम
37. मीरा देवी पत्नी सीताराम

    समस्त व्यस्क समस्त जाति अहीर(यादव) समस्त निवासी– शेरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
38. प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
39. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इंद्रराज, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 88,89,188 आरटीएक्ट

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि हाल खाता सं. 59 के हाल खसरा नं0 2465/2743 रकबा 0.36 है0 भूमि वाके ग्राम शेरपुरा पटवार हल्का खोरी, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0 में स्थित भूमि में प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में साबिक जमाबंदी के अनुसार व वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार गैर मुमकिन आबादी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय दिनांक ....

निर्णय आज दिनांक 7/2/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ____ रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	